

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्य प्रदेश ग्वालियर

समक्ष

एस०एस०अली

सदस्य

प्रकरण क्रमांक ९०३-तीन/२०१४ निगरानी - विरुद्ध आदेश दिनांक २-३-१२  
पारित क्वारा तहसीलदार, गुढ़ जिला रीवा - प्रकरण क्रमांक १७ अ १२/  
२०११-१२

राममणि पुत्र स्व. हनुमान प्रसाद छ्वेदी  
ग्राम गोरुआर तहसील गुढ़ जिला रीवा

—आवेदक

विरुद्ध

सरोज पत्नि स्व. रामहर्ष छ्वेदी  
ग्राम गोरुआर तहसील गुढ़ जिला रीवा

—अनावेदक

(आवेदक के अभिभाषक श्री डी०पी०मिश्रा)

(अनावेदक के अभिभाषक श्री अरुण कुमार गौतम)

आ दे श

(आज दिनांक ५६-०८-२०१७ को पारित)

यह निगरानी तहसीलदार, गुढ़ जिला रीवा - प्रकरण क्रमांक १७ अ १२/  
२०११-१२ में पारित आदेश दिनांक ०२-०३-२०१२ के विरुद्ध मध्य प्रदेश

भू राजस्व संहिता, १९५९ की धारा ५० के अंतर्गत प्रस्तुत की गई है।

२/ प्रकरण का सारोंश यह है कि अनावेदक कं-१ के आवेदन पर उबके

स्वामित्व की मौजा गोरुआर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक ३१७/१, ३१८/२, ३२४/२

 का राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी ने मेडिया कास्टकारों को सूचना देते हुये

दिनांक १७-६-१० को सीमांकन किया है, जिस पर मेडिया कास्टकार आवेदक



ने तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की है। तहसीलदार ने आवेदक की आपत्ति निरस्त करते हुये प्रकरण क्रमांक १७ अ-१२/२०११-१२ में पारित सीमांकन आदेश दिनांक २-३-१२ से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है जिसके विरुद्ध यह निगरानी है।

३/ आवेदक एंव अनावेदक के अभिभाषक के पूर्व पेशी पर तर्क सुने जा चुके हैं। अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख का अवलोकन किया गया।

४/ आवेदक एंव अनावेदक के अभिभाषक के तर्कों पर विचार करने एंव अधीनस्थ न्यायालय के अभिलेख के अवलोकन से परिलक्षित है कि अनावेदक कं-१ के आवेदन पर उनके स्वामित्व की मौजा गेरुआर स्थित भूमि सर्वे क्रमांक ३१७/१, ३१८/२, ३२४/२ का राजस्व निरीक्षक एंव हलका पटवारी ने मेड्रिया कास्तकारों को सूचना देते हुये दिनांक १७-६-१० को सीमांकन किया है, जिस पर मेड्रिया कास्तकार आवेदक ने तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत की है।

तहसीलदार ने आवेदक की आपत्ति निरस्त करते हुये प्रकरण क्रमांक १७ अ-१२/२०११-१२ में पारित सीमांकन आदेश दिनांक २-३-१२ से सीमांकन को अंतिमता प्रदान की है। विचार योग्य है कि जब आवेदक को तहसीलदार के समक्ष आपत्ति प्रस्तुत कर पक्ष रखने का समुचित अवसर मिल चुका है तब उनके द्वारा राजस्व मण्डल के समक्ष यह आपत्ति करना कि सीमांकन गलत करते हुये उनकी भूमि को प्रभावित किया गया है, माने जाने

योग्य नहीं है। यदि आवेदकगण किये गये सीमांकन से सन्तुष्ट नहीं हैं तब वह अपनी भूमि का सीमांकन राजस्व निरीक्षक अथवा अधीक्षक भू अभिलेख से कराने हेतु स्वतंत्र है जिसके कारण अनावेदक की भूमि के विधिवत् हुये सीमांकन में हस्तक्षेप करना न्यायोचित नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर निगरानी सारहीन पाये जाने से विरस्त की जाती है एंव तहसीलदार, गुढ़ जिला रीवा क्षारा प्रकरण क्रमांक १७ अ-१२/२०११-१२ में पारित सीमांकन आदेश दिनांक २-३-१२ यथावत् रखा जाता है।

✓  
(एस०एस०अली)  
सदस्य  
राजस्व मण्डल  
मध्य प्रदेश ग्वालियर